समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 08-04-2016 को मद्य निषेध के कार्यो की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

पंजी के अनुसार।

(2) कार्यवाही :-

➢ सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा / अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /अपर पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /पुलिस उपाधीक्षक (मु0), मधेपुरा /लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा /सामान्य अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा /सभी ए0पी0पी0, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा /सभी सहायक अभियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी थानाध्यक्ष /ओ0पी0 अध्यक्ष, मधेपुरा जिला का बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

➢ जिलाधिकारी द्वारा बैठक में बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा मद्य निषेध पर एक नया संशोधित अधिनियम लाया गया है। बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 में बना अधिनियम ही प्रावधानित एक्ट के अनुसार कार्य किया जाता रहा है, जो वर्तमान में बिहार उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।

➢ पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं का स्वागत किया गया एवं इस अधिनियम के बारे में विस्तार से बताया गया। बताया गया कि दिनांक 31-03-2016 को बिहार विधान मंडल द्वारा अधिनियम पारित किया गया एवं सर्व-साधारण हेतु सूचना प्रकाशित की गयी है।

➢ पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि उक्त अधिनियम के तहत् पुलिस पदाधिकारियों का दायित्व काफी बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस पदाधिकारियों को सजग एवं सतर्क रहते हुए कार्य किया जाना है। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि उक्त अधिनियम में बहुत सारे सेक्शन है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में विस्तार से बताया गया।

➢ यह भी बताया गया कि बिहार और उड़ीसा अधिनियम ।।, 1915 के अध्याय VIII, ''अपराध और शास्ति'' के अधीन उपबंधों का संशोधन एवं प्रतिस्थापन किया गया है, जो सेक्शन 47 में विधि विरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, उत्पादन, स्वामित्व, विक्रय आदि के लिए शास्ति है।

(3) सेक्शन 47 (विधि विरुद्ध आयात, निर्यात, परिवहन, उत्पादन, स्वामित्व, विक्रय) :-

क-किसी मादक द्रव्य का उत्पादन, स्वामित्व, बिक्रय, वितरण, बोतल बंद करना, निर्यात, आयात, ढोना है या हटाना,

ख-किसी भांग /गांजा पौधों की खेती करना है

ग-कोई कारखाना, मद्यनिर्माणशाला, शराब कारखाना या भंडारगार का निर्माण करना या स्थापित करना है

घ-विक्रय के प्रयोजन से किसी मद्य को बोतल में भरना है

ङ- किसी मादक द्रव्य के उत्पादन के प्रयोजनार्थ किसी सामग्री, आसवनी (स्टिल), बर्तन, उपकरण या उपस्कर अथवा परिसर जो कुछ भी हो, का उपयोग करना है, रखना है या उसके अधिपत्य में है

च-राज्य सरकार के प्रतीक चिन्ह (लोगों) या किसी राज्य के प्रतीक चिन्ह (लोगों) सहित या रहित कोई सामग्री अथवा फिल्म या आवरण (रैपर) या कोई अन्य चीज, जिसमें मादक द्रव्य को पैक किया जा सकता है, रखता है या किसी मादक द्रव्य के पैकिंग के प्रयोजनार्थ कोई उपकरण या उपस्कर या मशीन रखता है, या

छ-कोई मादक द्रव्य बेचता हो, विहित मात्रा से परे कोई मादक द्रव्य संग्रह करता हो, रखता हो या क्रय करता हो या

ज-इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त, स्थापित, प्राधिकृत या बने रहे किसी शराब कारखाना, मद्य निर्माणशाला, भांडागार, भंडारण के अन्य स्थान से किसी मादक द्रव्य को हटाता है।

उपरोक्त के आलोक में कम से कम दस वर्षो के कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और कम से कम एक लाख का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर दस लाख तक किया जा सकेगा, से दण्डनीय होगा।

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि यह अधिनियम जब बना था, उसमें देशी शराब को ही बंद किया गया था, किन्तु दिनांक 04-04-2016 से सभी प्रकार के शराब पूर्णतः बंद हो गई है। इसलिए यह आवश्यक है कि जो भी शराब बनायेगा और बेचेगा, उसको पकड़ना है और नियमानुसार जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई किया जाना है। पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि यदि किसी पदाधिकारियों को कोई समस्या है, तो वे अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब संसूचित करेंगे।

(अनुपालन-सभी थानाध्यक्ष /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला)

(4) सेक्शन 47क (कंपनियों द्वारा अपराध किया जाना) :-

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कंपनी है, तो अपराध किए जाने के समय कारबार के संचालन हेतु कंपनी और कंपनी प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति और कंपनी के प्रति जिम्मेवार प्रत्येक व्यक्ति को अपराध का दोषी समझा जाएगा और उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार दंडित किए जाने का भागी होगा। परन्तु, जहां कंपनी की विभिन्न संस्थापन या शाखाएँ हों या किसी संस्थापन या शाखा में विभिन्न इकाई हो, जिम्मेवार और प्रभारी व्यक्ति ऐसे संस्थापन, शाखा, इकाई के मामलें में उल्लंघन के लिए उत्तरदायी होंगे। परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दंड के लायक नहीं बनाएगी, यदि वह साबित करता है कि अपराध बिना उसकी जानकारी के हुई या यह कि ऐसे अपराध के होने को रोकने के लिए उसने सभी सम्यक तत्परता दिखलायी।

(2) उप धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है और कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य पदाधिकारी की सहमति या मौनानुमति या उनकी ओर से उपेक्षा के फलस्वरूप अपराध किया जाना साबित हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव और अन्य पदाधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडित किए जाने का भागी होगा।

(3) यह धारा ऐसी कंपनियों पर लागू नहीं होगी जहां अधिकांश शेयर होल्डर केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार अथवा ऐसी कंपनियॉ जिसे बोर्ड छूट दे सके द्वारा धारित हो।

(अनुपालन–सभी थानाध्यक्ष /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला)

(5) सेक्शन 51 (नकली शराब) :–

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि नकली मद्य (शराब) बेचने के लिए जो कोई यह जानकारी रखते हुए या जिसके पास विश्वास करने का कारण है कि यह देशी शराब है, लेकिन उसे विदेश से आयातित विदेशी शराब के रूप में बेचता है या बिक्री के लिए रखता है या दिखलाता है, तो वह कम से कम दस वर्षो के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रूपये का जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रूपये तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

(अनुपालन–सभी थानाध्यक्ष /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला)

(6) सेक्शन 53 (सार्वजनिक स्थान पर मद्यपान के लिए शास्ति) :–

पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जो कोई भी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाई गई नियमावली, निर्गत अधिसूचना या दिए गए आदेश के उल्लंघन में–

क–सार्वजनिक स्थल में या अनधिकृत स्थान पर मद्यपान करता है या

ख–सार्वजनिक स्थल में या अनधिकृत स्थान में या अधिकृत स्थान में मद्यपान करता है और उपद्रव करता है

ग–मद्य संस्थापन के परिसरों में या अपने परिसरों में नशाखोरी या असामजिक तत्वों के जमावड़ा की अनुमति देता है

(1) खंड (क) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम पॉच वर्षो के कारावास जिसे बढ़ाकर सात वर्षो तक किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू0 जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू0 तक किया जा सकेगा, से दंडनीय होगा।

(2) खंड (ख) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम सात वर्षो के कारावास जिसे बढ़ाकर दस वर्ष किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू0 जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू0 तक किया जा सकेगा से

(3) खंड (ग) के अधीन पड़ने वाले अपराध की स्थिति में, कम से कम दस वर्षो के कारावास जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जा सकेगा और कम से कम एक लाख रू0 जुर्माना जिसे बढ़ाकर दस लाख रू0 तक किया जा सकेगा, से दण्डनीय होगा।

(अनुपालन–सभी थानाध्यक्ष /सभी संबंधित पदाधिकारी, मधेपुरा जिला)

(7) सेक्शन 54 (मादक द्रव्य) :–

इस अधिनियम के तहत् यदि कोई व्यक्ति, बिना विधिसम्मत् प्राधिकार के, अपने आधिपत्य में ऐसा मादक द्रव्य रखता है, जिसके बारे में उसे जानकारी है या ऐसा विश्वास करने का कारण है यह विधिविरूद्ध आयातित, ढ़ोया गया या विनिर्मित है, या जिसके बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का कारण है कि उस पर विहित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो वह कम से कम आठ वर्षो के कारावास जिसे बढ़ाकर दस वर्षो तक किया जा सकेगा से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माना का भी भागी होगा, जिसे बढ़ाकर दस लाख रूपये तक किया जा सकेगा और जुर्माना के भुगतान के चूक की स्थिति में उसे और कारावास जिसे बढ़ाकर एक वर्ष तक किया जा सकेगा, से दंडित किया जाएगा।